6|5|19 9|5|19 9|5|19 9|5|19

FIVE RUPEES INDIA

अनुमंडल दण्डाधिकारी का न्यायालय, धालभूम, जमशेदपुर।

मिस केस नं0-540/2018

धारा-144 दं0प्र0सं0

झारखण्ड सरकार -बनाम- दर्शन सिंह उर्फ हरजीत सिंह

	आदेश	
5/11/18	अभिलेख में उपलब्ध सभी कागजात, बिष्टुपुर थाना अप्राथमिकी सं0-2/18, दिनांक-24.8.18, धारा-144 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया। इससे प्रतीत होता है, कि बिष्टुपुर थाना से प्राप्त अप्राथमिकी सं0-2/18, दिनांक-24.8.18, के आलोक में दिनांक-7.9.18 को आरंभ करते हुए द्वितीय पक्ष के सदस्यों के विरुद्ध नोटिस निर्गत किया गया है। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन अप्राप्त है। बिष्टुपुर थाना से प्राप्त अप्राथमिकी सं0-2/18, दिनांक-24.8.18, के अवलोकन से विदित होता है कि मौजा-जुगसलाई, थाना-बिष्टुपुर, पुराना खाता नं0-11, पुराना प्लॉट नं0-1809, नया खाता नं0-02, नया प्लॉट नं0-152, वार्ड नं0-04, रकवा-0.71.00 हे0 जमीन जिसकी चौहद्दी- उत्तर-नईम अहमद का मॉर्डन टायर दुकान, दक्षिण-प्लॉट नं0-152 का अंश, पुरब-पक्की सड़क तथा पश्चिम-मैला टंकी का चाहरदिवारी है। उपर्युक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष के सदस्य द्वारा निर्माण कार्य करने के कारण विवाद एवं तनाव को देखते हुए धारा-144 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ की गई। द्वितीय पक्ष के सदस्य द्वारा दि0-15.10.18 को कारण-पृच्छा दाखिल किया गया तथा बाद में List of document के साथ कागजात की छायाप्रतियाँ दाखिल की गई है। उनके द्वारा दाखिल मिस (पी0) नं0-71/18, धारा-144 दं0प्र0सं0 (नईम अहमद -बनाम- सरदार दर्शन सिंह उर्फ हरजीत सिंह) में दिनांक-30.7.18/14.8.18 को पारित आदेश की प्रति के अवलोकन से प्रतीत होता है, कि समान विषयवस्तु पर मिस (पी0) नं0-71/18 चला था तथा विवादित भूमि पर दर्शन सिंह उर्फ हरजीत सिंह का दखल-कब्जा करीब 50 वर्ष का है, प्रतिवेदित के आधार पर इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। इस वाद की वैधानिक अवधि आज समाप्त हो रही है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। (लेखापित एवं संशोधित) 5/11/18 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर। 5/11/18 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर।	
पढ़ा एवं संशोधन किया प्रतिमा नेगी 9/5/19		

मूल्य दिया
प्रदीप तिर्की
9/4/19
तुलना लिपिक

तुलना किया
प्रदीप तिर्की
9/4/19
तुलना लिपिक

सच्ची प्रतिलिपि प्रमाणित
9/4/19
प्रधान लिपिक
अनुमण्डलीय कार्यालय धालभूम, जमशेदपुर
धारा 76 एवट। ऑफ 1877 के अन्तर्गत प्राधिकृत

अनुमंडल दण्डाधिकारी का न्यायालय, धालभूम, जमशेदपुर।

मिस (पी०) नं०-71/2018
धारा-144 दं०प्र०सं०

नईम अहमद -बनाम- सरदार दर्शन सिंह उर्फ हरजीत सिंह

	आदेश
30.7.18 14.8.18	आवेदक नईम अहमद, पिता-स्व० नबी अहमद, हो०नं०-72, रामदास भट्ठा, पंजाबी लाईन, पो०/थाना- बिष्टुपुर के द्वारा एक आवेदन दिनांक-11.6.2018 को दाखिल करते हुए आवेदन पत्र के तफ़सील में वर्णित भूमि पर धारा-144 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करते हुए जारी निषेधाज्ञा को विपक्षी सदस्य सरदार दर्शन सिंह उर्फ हरजीत सिंह, पिता-स्व० करनैल सिंह, गुरुद्वारा बस्ती बिष्टुपुर, पो०/थाना-बिष्टुपुर के विरुद्ध सम्पुष्ट करने का प्रार्थना किया गया है। आवेदक के दाखिल आवेदन पत्र के आलोक में संबंधित बिष्टुपुर थाना को निर्माण कार्य को रोकते हुए जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई एवं शांति-व्यवस्था बनाए रखने हेतु निदेश दिया गया। थाना प्रभारी बिष्टुपुर थाना से ज्ञापांक-1578/18, दिनांक-16.6.18 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, साथ में कागजात की छायाप्रतियाँ संलग्न है। पुनश्चः अंचल अधिकारी, जमशेदपुर से बिष्टुपुर थाना से प्राप्त प्रतिवेदन ज्ञापांक-1578/18, दिनांक-16.6.18 के साथ संलग्न कागजात की प्रति के साथ आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन पत्र की प्रति भेजते हुए स्पष्ट जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। अंचल अधिकारी, जमशेदपुर से पत्रांक-1716, दिनांक-16.7.18 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदक का केस यह है कि मौजा-जुगसलाई, पो०/थाना-बिष्टुपुर, जिला-पूर्वी सिंहभूम का एक भू-खंड रकवा 20' x 100' के साथ टीन शेड संरचना 20' x 15' जो प्लॉट नं०-152 (नया), खाता नं०-11, पुराना प्लॉट नं०-1809, जिसकी चौहद्दी उत्तर-नीज (हरजीत सिंह उर्फ दर्शन सिंह), दक्षिण-rest portion of vacant land of Bhagwan Singh, पूरब-outer circle road तथा पश्चिम-Sewer Tank है, जिसका भगवान सिंह मालिक है एवं उक्त भूमि भगवान सिंह के कब्जे में था एवं हॉल सर्वे में अवैध दखल खतियान के कैफियत कॉलम में दिखाया गया है जबकि उक्त भूमि बिहार सरकार में vesting होने के पूर्व उसके पिता के कब्जे में था। आवेदक ने दिनांक-18.9.2008 को कार्यवाही भूमि एग्रीमेंट फोर सेल के द्वारा क्रय किये थे एवं सम्पूर्ण राशि भुगतान के पश्चात आवेदक को कब्ज़ा दिया गया था, तब से वे तफसील सम्पत्ति के कब्जे में है तथा right, title एवं interest है। उल्लेखनीय है कि कार्यवाही भूमि के उत्तरी तरफ विपक्षी सदस्य का भूमि था, जिसके विरुद्ध में टिस्को लि० ने T-Suit No. 12/1982, माननीय मुन्सिफ के न्यायालय में declaration of title and recovery of possession हेतु किये थे तथा मान्नीय न्यायालय द्वारा दिनांक-16.12.1998 को उक्त सूट को dismiss कर दिया गया, जिसमें बिहार सरकार को proforma defendant बनाया गया था। उक्त वाद खारिज होने के उपरान्त विपक्षी सदस्य उक्त भूमि पर पक्का संरचनाएँ निर्मित किये तथा दो मंजिला भवन एवं भूमि रकवा 15' x 75', प्लॉट नं०-152 (अंश), खाता नं०-11, पो०/थाना-आवेदक एवं एक फरहत जहाँनूर के पक्ष में

दिनांक–22.4.2013 को बेच दिए एवं दखल–कब्जा दिए जहाँ आवेदक–Modern tyre के नाम से व्यवसाय कर रहे हैं। आवेदक तफसील भूमि को कार का गैरेज एवं चक्का का balancing एवं टायर बदलने के रूप में व्यवहार करते हैं। दिनांक–12.4.18 को विपक्षी कुछ असामाजिक तत्वों के साथ कार्यवाही भूमि के दक्षिण तरफ में गिरे हुए कचड़ा (debris) बुलडोजर से हटा दिये एवं major portion पर cement का पीलर, आवेदक का अंश को छोड़कर खड़ा किये। दिनांक–8.6.2018 को विपक्षी सदस्य कई असामाजिक तत्वों के साथ आवेदक के परिसर में घुस गये एवं बलपूर्वक निर्माण कार्य आरंभ किये। विपक्षी सदस्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ लगातार आवेदक की जमीन को बलपूर्वक हड़पने का प्रयास कर रहे हैं एवं डरा रहे हैं। आवेदक ने इसकी सूचना बिष्टुपुर थाना एवं पुलिस अधीक्षक को लिखित में दिए, परन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आवेदक कानून को सम्मान करने वाले नागरिक हैं, जबकि दूसरी ओर विपक्षी सदस्य शातिर एवं झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं एवं हमेशा कानून को अपने हाथ में लेते हैं। विपक्षी सदस्य अन्य गुण्डा तत्वों के मदद में बलपूर्वक उक्त वर्णित सम्पत्ति से बेदखल करने का प्रयास कर रहे हैं। विपक्षी सदस्य से शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल सम्भावना है। उपर्युक्त तथ्य एवं परिस्थिति में विपक्षी सदस्य के विरुद्ध धारा–144 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करते हुए कार्यवाही भूमि में जाने से रोकने एवं जारी निषेधाज्ञा को सम्पुष्ट करने एवं/अथवा अन्य आदेश जो न्यायालय उचित समझे पारित करने का प्रार्थना किया गया है।

उपर्युक्त दाखिल आवेदन पत्र के आलोक में पु0नि0सह–थाना प्रभारी बिष्टुपुर के ज्ञापांक–1578/18, दिनांक–16.6.18 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन में उल्लेख है कि स्थल पर जाकर आदेशानुसार निर्माण कार्य बंद करवा दिया तथा जाँच किये। दोनों पक्षों से कागजात माँगकर अवलोकन किये तथा आस–पास के, लोगों से पूछ–ताछ किये तो पाया गया कि जुंगसलाई मौजा, बिष्टुपुर थाना के अन्तर्गत खाता सं0–1 पुराना प्लॉट सं0–1809 में करीब 32 एकड़ गैर मजरूआ मालिक जमीन था, जो टाटा लीज के अन्तर्गत था, जिसके अधिकांश हिस्से में केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त का कार्यालय स्थित है। इसी के कुछ भाग पर पूर्व से अवतार सिंह, त्रिलोक सिंह, दर्शन सिंह उर्फ हरजीत सिंह का अवैध दखल कब्जा था। इसी कारण उक्त जमीन का कुछ भाग वर्षो से इन लोगों के कब्जे में ही चला आ रहा है। टाटा आयरण एण्ड स्टील कम्पनी लि0 द्वारा दर्शन सिंह उर्फ हरजीत सिंह पे0–करनैल सिंह सा0–गुरुद्वारा बस्ती के विरुद्ध टाईटल सूट नं0–12/1982 किया गया था, जिसमें दिनांक–16.12.1998 को मुन्सिफ न्यायालय, जमशेदपुर से टाटा आयरन एवं स्टील कम्पनी लि0 की हार हो गई थी। टाटा आयरन एवं स्टील कम्पनी लि0 द्वारा भगवान सिंह पे0–भजुराम सिंह, सा0–गुरुद्वारा बस्ती के विरुद्ध टाईल सूट नं0–13/155–1982–90. किया गया था, जिसमें दिनांक 16.7.1991 को न्यायालय श्री ए0बी0 श्रीवास्तव, तृतीय एडिसनल मुन्सिफ, जमशेदपुर के न्यायालय से टाटा आयरन एवं स्टील कम्पली लि0 की जीत हो गई थी तथा भगवान सिंह के द्वारा अपनी हार के विरुद्ध समय सीमा के अन्दर उच्च न्यायालय में पिटीसन दाखिल नहीं किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि भगवान सिंह

का उक्त जमीन पर किसी प्रकार का कोई दावा नहीं बनता है तथा उक्त जमीन पर भगवान सिंह या उनके पुत्र का कब्जा नहीं है। उक्त विवादित जमीन से सटे उत्तर में नईम अहमद पे0–स्व नबी अहमद, सा0–रामदास भट्टा का पक्का मकान बना हुआ है, जिस जगह पक्का था मकान बना हुआ है वह जगह दर्शन सिंह से नईम अहमद द्वारा 22.4.2013 को एग्रीमेंट के आधार पर लेकर बनाया गया है। विवादित जमीन का नया प्लॉट नं–152 अंकित है तथा इस पर उत्तर एवं पूरब की ओर से करीब 6' फीट ऊँचाई सिमेंटेड स्लैब डालकर दर्शन सिंह उर्फ हरजीत सिंह के द्वारा चाहरदिवारी बनाई गई है। चाहरदिवारी के अन्दर पूरब–पश्चिम लम्बाई 80 फीट तथा उत्तर–दक्षिण चौड़ाई 50 फीट है। चोहरदिवारी के अन्दर कई पीलर खड़ा किया गया है, जो देखने से नया प्रतीत होता है तथा एक कमरा बना है, ईट एवं एस्वेस्टस का है जो टुटी अवस्था में है। इसका ईट एवं दरवाजा देखने से प्रतीत होता है कि करीब 20–25 वर्ष पहले बनाया गया था। आस–पास के लोगों–सरदार हरदयाल सिंह, नवतेज सिंह, प्रकाश सिंह, कृपाल सिंह आदि से पूछ–ताछ किया तो ये सभी बताये कि यह कमरा करनैल सिंह के द्वारा बनाया गया था, जिसकी मरम्मत दर्शन सिंह उर्फ हरजीत सिंह के द्वारा किया गया था। जबकि नईम अहमद वर्ष 2013 में जमीन एग्रीमेंट करवाने के बाद अपना मकान बनाये हैं, जिसमें 'मॉडर्न टायर' है। इसके अलावे विवादित जमीन पर नईम अहमद का पूर्व से आज तक कभी भी किसी प्रकार का कब्जा नहीं रहा है। उक्त जमीन पर वर्षो पूर्व सरदार करनैल सिंह का कब्जा था, उनके बाप दर्शन सिंह उर्फ हरजीत सिंह का कब्जा हुआ जो की आज तक बना हुआ है। नईम अहमद के मकान के पीछे में दर्शन सिंह उर्फ हरजीत सिंह का 10 फुट चौड़ाई में करीब 50 वर्ष पूर्व से कब्जा है, जो इस विवादित जमीन से मिला हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त विवादित जमीन पर पूर्व से अब तक दर्शन सिंह उर्फ हरजीत सिंह का कब्जा है। विवादित जमीन की चौहद्दी–उत्तर–नईम अहमद का मॉडर्न टायर दुकान एवं दर्शन सिंह उर्फ हरजीत सिंह का नीज जमीन, दक्षिण–खाली जमीन नया प्लॉट सं0–152 का अंश इसके बाद कृपाल सिंह का ढाबा, पूरब–पक्का सड़क तथा पश्चिम–मैल टंकी का चाहरदिवारी है।

अंचल अधिकारी, जमशेदपुर के पत्रांक–1716, दिनांक–16.7.18 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन में उल्लेख है कि– उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से जाँच कराया गया। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार हाल सर्वे खतियान में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र वार्ड नं0–4, खाता नं0–2, प्लॉट नं0–152, रकवा–0.71.00 हे0 भूमि किस्म परती अनाबाद बिहार सरकार के खाते की भूमि है। खतियान के अभ्युक्ति कॉलम में अवैध दखल आवतार सिंह, पिता–चरण सिंह, एक अंश त्रिलोक सिंह, पिता–पुरन सिंह, एक अंश दर्शन सिंह, पिता–करनैल सिंह, एक अंश तथा भगवान सिंह पिता–भजुराम सिंह एक अंश 1957 से दर्ज है जो टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के हाल लीज डीज के Appendix "E" में सन्निहित है। स्थल जाँच के क्रम में पता चला कि विवादित प्लॉट नं0–152/अंश पर उत्तर एवं पूरब की ओर से करीब 6 फीट ऊँचाई

का उक्त जमीन पर किसी प्रकार का कोई दावा नहीं बनता है तथा उक्त जमीन पर भगवान सिंह या उनके पुत्र का कब्जा नहीं है। उक्त विवादित जमीन से सटे उत्तर में नईम अहमद पे0–स्व नवी अहमद, सा0–रामदास भट्टा का पक्का मकान बना हुआ है, जिस जगह पक्का था मकान बना हुआ है वह जगह दर्शन सिंह से नईम अहमद द्वारा 22.4.2013 को एग्रीमेंट के आधार पर लेकर बनाया गया है। विवादित जमीन का नया प्लॉट नं–152 अंकित है तथा इस पर उत्तर एवं पूरब की ओर से करीब 6' फीट ऊँचाई सिमेंटेड स्लैब डालकर दर्शन सिंह उर्फ हरजीत सिंह के द्वारा चाहरदिवारी बनाई गई है। चाहरदिवारी के अन्दर पूरब–पश्चिम लम्बाई 80 फीट तथा उत्तर–दक्षिण चौड़ाई 50 फीट है। चोहरदिवारी के अन्दर कई पीलर खड़ा किया गया है, जो देखने से नया प्रतीत होता है तथा एक कमरा बना है, ईट एवं एस्वेस्टस का है जो टुटी अवस्था में है। इसका ईट एवं दरवाजा देखने से प्रतीत होता है कि करीब 20–25 वर्ष पहले बनाया गया था। आस–पास के लोगों–सरदार हरदयाल सिंह, नवतेज सिंह, प्रकाश सिंह, कृपाल सिंह आदि से पूछ–ताछ किया तो ये सभी बताये कि यह कमरा करनैल सिंह के द्वारा बनाया गया था, जिसकी मरम्मत दर्शन सिंह उर्फ हरजीत सिंह के द्वारा किया गया था। जबकि नईम अहमद वर्ष 2013 में जमीन एग्रीमेंट करवाने के बाद अपना मकान बनाये हैं, जिसमें 'मॉडर्न टायर' है। इसके अलावे विवादित जमीन पर नईम अहमद का पूर्व से आज तक कभी भी किसी प्रकार का कब्जा नहीं रहा है। उक्त जमीन पर वर्षो पूर्व सरदार करनैल सिंह का कब्जा था, उनके बाप दर्शन सिंह उर्फ हरजीत सिंह का कब्जा हुआ जो की आज तक बना हुआ है। नईम अहमद के मकान के पीछे में दर्शन सिंह उर्फ हरजीत सिंह का 10 फुट चौड़ाई में करीब 50 वर्ष पूर्व से कब्जा है, जो इस विवादित जमीन से मिला हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त विवादित जमीन पर पूर्व से अब तक दर्शन सिंह उर्फ हरजीत सिंह का कब्जा है। विवादित जमीन की चौहद्दी–उत्तर–नईम अहमद का मॉडर्न टायर दुकान एवं दर्शन सिंह उर्फ हरजीत सिंह का नीज जमीन, दक्षिण–खाली जमीन नया प्लॉट सं0–152 का अंश इसके बाद कृपाल सिंह का ढाबा, पूरब–पक्का सड़क तथा पश्चिम–मैल टंकी का चाहरदिवारी है।

अंचल अधिकारी, जमशेदपुर के पत्रांक–1716, दिनांक–16.7.18 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन में उल्लेख है कि– उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से जाँच कराया गया। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार हाल सर्वे खतियान में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र वार्ड नं0–4, खाता नं0–2, प्लॉट नं0–152, रकवा–0.71.00 हे0 भूमि किस्म परती अनाबाद बिहार सरकार के खाते की भूमि है। खतियान के अभ्युक्ति कॉलम में अवैध दखल आवतार सिंह, पिता–चरण सिंह, एक अंश त्रिलोक सिंह, पिता–पुरन सिंह, एक अंश दर्शन सिंह, पिता–करनैल सिंह, एक अंश तथा भगवान सिंह पिता–भजुराम सिंह एक अंश 1957 से दर्ज है जो टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के हाल लीज डीज के Appendix "E" में सन्निहित है। स्थल जाँच के क्रम में पता चला कि विवादित प्लॉट नं0–152/अंश पर उत्तर एवं पूरब की ओर से करीब 6 फीट ऊँचाई

16/8/18 16/8/18 16/8/18 16/8/18

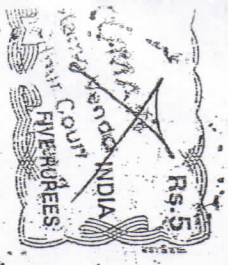

INDIA Rs.5 FIVE RUPEES Court Fee

अन्दर पूरब-पश्चिम लम्बाई करीब 80' तथा उत्तर-दक्षिण चौड़ाई करीब 50' है। चहारदिवारी के अन्दर कई पीलर खड़ा किया गया है, जो देखने से नया प्रतीत होता है तथा एक कमरा जो ईंट एवं एस्वेस्टस का है जो टुटी अवस्था में है एवं 20-25 वर्ष पुराना प्रतीत होता है। आस-पास के लोगों द्वारा बताया गया कि विवादित प्लॉट नं0-152 के अंश भाग रकवा-0.04.18 हे0 भूमि पर दर्शन सिंह उर्फ हरजीत सिंह का लगभग 50 वर्ष से दखल हैं। प्लॉट नं0-152/अंश का चौहद्दी उत्तर-नईम अहमद का मॉडर्न टायर दुकान, दक्षिण-प्लॉट नं0-152 का अंश भाग, पूरब-पक्की सड़क तथा पश्चिम-मैला टंकी का चहारदिवारी है।

बिष्टुपुर थाना एवं अंचल अधिकारी, जमशेदपुर के द्वारा विवादित भूमि पर विपक्षी-दर्शन सिंह उर्फ हरजीत सिंह का दखल-कब्जा करीब 50 वर्ष से है, प्रतिवेदित किया गया है। धारा-144 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करने की अनुशंसा भी नहीं की गई है। वर्णित परिस्थिति में आवेदक-नईम अहमद के द्वारा धारा-144 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करने हेतु दाखिल आवेदक पत्र पर किसी प्रकार की कार्रवाई अपेक्षित प्रतीत नहीं होता है।

अतः विचारोपरान्त आवेदक-नईम अहमद, पिता-स्व0 नवी अहमद के द्वारा दिनांक-11.6.2018 को धारा-144 दं0प्र0सं0 के तहत कार्यवाही आरंभ करने हेतु दाखिल आवेदन पत्र को खारिज किया जाता हैं एवं आगे की कार्रवाई बन्द की जाती है। साथ ही दिनांक-11.6.2018 को निर्माण कार्य रोकने संबंधी बिष्टुपुर थाना को दिया गया आदेश को वापस लिया जाता है। विधि-व्यवस्था एवं अन्य कार्य में व्यस्तता के कारण आदेश ससमय पारित नहीं किया जा सका।

(लेखापित एवं संशोधित)

16/8/18

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
धालभूम, जमशेदपुर।

एवं संशोधन किया 16/8/18

6/8/18

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
धालभूम, जमशेदपुर।

मूल्य दिया   तुलना किया

तुलना 16/8/18   तुलना लिपिक 16/8/18

सच्ची प्रतिलिपि प्रमाणित
16/8/18
प्रधान लिपिक
अनुमण्डलाधिकारी कार्यालय, धालभूम जमशेदपुर
[illegible] 1872 के अन्तर्गत प्राधिकृत